UPKU010036992023

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–प्रथम, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थितः–**सत्यपाल सिंह प्रेमी, एच०जे०एस०**–UP01829

1. सत्र परीक्षण संख्या–893/2023

उत्तर प्रदेश राज्य,

––––अभियोजन पक्ष

बनाम

1. अबू उर्फ राजू कन्नौजिया बउम्र 20 वर्ष पुत्र रमाकान्त,
2. अमरजीत बउम्र 30 वर्ष पुत्र जवाहर,

साकिनान–हाटा वार्ड नं० 19 आजाद नगर, थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर,

––––अभियुक्तगण

1.	मामले का क्रमांक संख्या	सत्र परीक्षण संख्या–893/2023
2.	अपराध किये जाने की तारीख	दिनांक 07.05.2023
3.	मुकदमा अपराध संख्या	274/2023 दिनांकित 09.05.2023, 20:44 बजे
4.	अन्तर्गत धारा	304, 404 भा०दं०सं०
5.	थाना	कोतवाली हाटा
6.	जिला	कुशीनगर
7.	शिकायतकर्ता/वादिनी का नाम	श्री संजीव कुमार, निवासी–वार्ड नं०–7 महाराणा प्रताप नगर, देवरिया देहात, थाना–हाटा, जिला–कुशीनगर,
8.	अभियुक्तगण का विवरण	1. अबू उर्फ राजू कन्नौजिया, 2. अमरजीत
9.	अपराध जिसका विचारण किया गया	304, 404 भा०दं०सं०
10.	अपराध जो साबित हुआ	–

11.	अन्तिम बहस का दिनांक	27.06.2026
12.	अन्तिम निर्णय	दोषमुक्त
13.	अन्तिम निर्णय की तिथि	04.07.2026

निर्णय

01– प्रस्तुत मामला, जो मुकदमा अपराध संख्या–274/2023, थाना–कोतवाली हाटा, जिला–कुशीनगर से सम्बन्धित है, का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें थाना– कोतवाली हाटा के द्वारा अन्तर्गत धारा–304, 404 भा०दं०सं० में आरोप पत्र **(प्रदर्श–क–13)** प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर स्थान पडरौना द्वारा दिनांक 09.06.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया, जिसे विचारण हेतु दिनांक 03.07.2023 को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, कुशीनगर स्थान पडरौना के न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

02– पत्रावली पर उपलब्ध वादी मुकदमा संजीव कुमार की लिखित तहरीर कागज सं० 5क/1 **(प्रदर्श क–1)** के आधार पर थाना–कोतवाली हाटा, जिला कुशीनगर में दिनांक 09.05.2023 को समय 20:44 बजे मु०अ०सं० 274/2023 पर अभियोग पंजीकृत कर कागज सं० 4क/1 ता 4क/3 चिक एफ०आई०आर० **(प्रदर्श क–7/P.W.–6)** किता की गयी और विवेचक को विवेचना सुपुर्द की गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध लिखित तहरीर, प्रदर्श क–1, कागज सं० 5क/1 इस प्रकार है कि "प्रार्थी संजीव कुमार वार्ड नं०–07 महाराणा प्रताप नगर (देवरिया देहात) नगर पालिका परिषद हाटा कुशीनगर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के पिता स्व० स्वामी नाथ S/O स्व० रामाश्रय प्रसाद उम्र लगभग 67 वर्ष दि० 07.05.23 को समय शांम लगभग पांच बजे घर से दवा लेने हेतु निकले थे उनके पास लगभग सात हजार रुपया था कन्या पाठशाला से आगे तथा हाथी कटरा के बीच में समय लगभग छः बजे सांय दवा लेने हेतु जा रहे थे कि उन्हे चक्कर आने लगा जिस के कारण वे जमीन पर बैठ गये तभी हाटा के अबू उर्फ राजू कन्नौजिया S/O रमाकान्त व अमरजीत S/O जवाहर कन्नौजिया निवासीगण हाटा व दो अन्य लोग अज्ञात मेरे पिता जी के पास गये और उन्हें उठा कर अपनी मोटर साईकिल पर

बैठाकर दवा कराने के बहाने आस पास के लोगो से यह कहते हुए कि मैं इन्हें भली भाँति जानता व पहचानता हूँ। उक्त घटना को स्थानीय लोगो ने देखा जब हमारे पिता जी शाम तक घर नहीं आए तो घर के लोग चिन्ता करने लगे और उन्हे खोजने के लिये प्रार्थी के परिवार व दोस्तो के साथ खोजते हुए हाटा बाजार गये तो पता चला कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गयी थी जिसे उपरोक्त लोग अपनी बाइक से दवा कराने हेतु ले गये है हम लोगो द्वारा वहाँ के अस्पताल (सरकारी)/ प्राइवेट अस्पताल में पता किया गया तो पिता जी का कुछ भी पता नहीं चला तभी थाना स्थानीय से पता चला कि मेरे पिता जी की लाश श्री गाधी स्मारक इण्टर कालेज हाटा के फिल्ड में पड़ी है उस समय रात्रि लगभग 08.30 बजा था लाश के पास ईंट पत्थर पड़ा था उनके पास न ही दवा थी न ही पैसा था। उक्त लोग लाश को छोड कर चले गये थे। मेरे पिता जी के साथ घटित घटना उपरोक्त लोगो द्वारा ही किया गया है मुकामी पुलिस द्वारा मेरे पिता जी को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ डा० द्वारा मृत्यु घोषित किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में मेरे पिता जी का पोस्टमार्टम कराया गया उनका अंतिम सस्कार कराने के उपरान्त सूचना लेकर आया हूँ। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। ''

उपरोक्त तहरीर के आधार पर मु०अप०सं० 274/2023 अन्तर्गत धारा–304, 404 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली हाटा में अबू उर्फ राजू कन्नौजिया, अमरजीत व 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रचलित की गई। विवेचक के द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण अबू उर्फ राजू कन्नौजिया व अमरजीत के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–304, 404 भा०दं०सं० में आरोप पत्र संख्या–310/2023 दिनांकित 26.05.2023, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उक्त आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के द्वारा संज्ञान लेकर तथा अभियुक्तगण अबू उर्फ राजू कन्नौजिया व अमरजीत को धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में आवश्यक प्रपत्र प्रदान कराकर विचारण हेतु मामले को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया।

03– दिनांक 12.09.2023 को अभियुक्तगण अब्बू उर्फ राजू कन्नौजिया व अमरजीत के विद्वान अधिवक्ता तथा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुनने के पश्चात सत्र न्यायालय, कुशीनगर स्थान पडरौना के द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 304, 404 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त आरोप से इंकार करते हुए विचारण की याचना की गयी।

04– अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये निम्नलिखित साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है:–

1.	P.W.–01	संजीव कुमार	वादी मुकदमा
2.	P.W.–02	राजीव उर्फ राजू चौहान	चक्षुदर्शी साक्षी
3.	P.W.–03	खजान्ची	चक्षुदर्शी साक्षी
4.	P.W.–04	जितेन्द्र कुमार	पंचायतनामा साक्षी
5.	P.W.–05	उप निरीक्षक प्रविन्द कुमार राय	पंचायतनामा लेखक
6.	P.W.–06	हे०मु० सत्येन्द्र नाथ गिरी	FIR लेखक व नकल कायमी
7.	P.W.–07	डा० दीन मोहम्मद	पोस्टमार्टमकर्ता
8.	P.W.–08	विशाल कुमार सिंह	विवेचक

05– अभियोजन की ओर से निम्न प्रपत्रों को साबित कराया गया–

1.	मूल तहरीर, का०सं० 5 क/1	प्रदर्श क–01	P.W.–1 संजीव कुमार
2.	पंचायतनामा स्वामीनाथ, का०सं० 8 क/1 ता 8 क/2	प्रदर्श क–02	P.W.–5 प्रविन्द कुमार राय
3.	नमूना मोहर, का०सं० 11 क/7	प्रदर्श क–03	P.W.–5 प्रविन्द कुमार राय
4.	रिपोर्ट C.M.O., मृतक का P.M. हेतु, का०सं० 11 क/9	प्रदर्श क–04	P.W.–5 प्रविन्द कुमार राय
5.	फोटोनाश, का०सं० 11 क/10	प्रदर्श क–05	P.W.–5 प्रविन्द कुमार राय
6.	पुलिस फार्म संख्या 13, का०सं० 11 क/11	प्रदर्श क–06	P.W.–5 प्रविन्द कुमार राय
7.	चिक F.I.R., का०सं० 4 क/1 ता 4 क/3	प्रदर्श क–07	P.W.–6 सत्येन्द्र नाथ गिरि
8.	जी०डी० कायमी, का०सं० 6 क/4	प्रदर्श क–08	P.W.–6 सत्येन्द्र नाथ गिरि
9.	पोस्टमार्टम, का०सं० 9 क/1	प्रदर्श क–9	P.W.–7 डा०दीन मोहम्मद
10.	नक्शा नजरी घटना स्थल प्रथम गांधी स्मारक इण्टर कालेज ग्राउण्ड, का०सं०	प्रदर्श क–10	P.W.–8 विशाल कुमार सिंह

	7 क/1		
11.	नक्शा नजरी घटना स्थल द्वितीय हाथी कटरा, का०सं० 7 क/2	प्रदर्श क–11	P.W.–8 विशाल कुमार सिंह
12.	गिरफ्तारी मेमो, का०सं० 11 क/13	प्रदर्श क–12	P.W.–8 विशाल कुमार सिंह
13.	आरोप पत्र, का०सं० 3 क/1 ता 3 क/6	प्रदर्श क–13	P.W.–8 विशाल कुमार सिंह

इस स्तर पर न्यायालय अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संक्षेप में विवरण करना उचित समझता है।

06– <u>अभियोजन साक्ष्यः–</u>

<u>P.W.–1, संजीव कुमार –</u>

P.W.–1 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 09.09.2024 में कहा है कि "दिनांक 07.05.2023 को मेरे पिता स्वामीनाथ शाम को लगभग 5 बजे घर से दवा लेने हाटा बाजार निकले थे। पिता जी की उम्र घटना के समय लगभग 67 वर्ष रही होगी। मेरे पिता जब घर से दवा लेने के लिए निकले तो उस समय उनके पास 7000/–रूपये कैश था। कन्या पाठशाला से आगे हाथी कटरा के बीच समय लगभग शाम के 6 बजे पहुँचे थे तभी उन्हें चक्कर आने लगा वही सड़क के किनारे जमीन पर बैठ गये साईकिल वही खड़ी करके जमीन पर बैठ गये। उसी समय हाटा के अब्बू उर्फ राजू कन्नौजिया तथा अमरजीत व अन्य दो लोग मेरे पिता के पास गये और उन्हें उठा कर अपनी मोटर साईकिल पर बैठा कर दवा कराने के बहाने आस–पास के लोगों से यह बताते हुए मैं इन्हें भली–भाँति जानता व पहचानता हूँ अपने साथ लेते गये। देर शाम तक मेरे पिता घर नहीं आये तो हम लोग अपने घर परिवार के लोगों व मित्रों के साथ उनको खोजते हुए हाटा बाजार में पहुँचे तो घटना को देखने वाले लोगों ने मुझे बताया कि मेरे पिता की तबियत अचानक खराब हो गयी थी जिसे उक्त लोग अपनी बाईक से दवा कराने लेकर गये थे इस जानकारी पर मैं वहाँ के सरकारी हास्पिटल व प्राईवेट हास्पिटल दोनों में पता किया, किन्तु मेरे पिता का कोई पता नहीं चला थोड़ी देर में ही स्थानीय थाने से पता चला कि मेरे पिता की लाश गाँधी स्मारक इण्टर कालेज हाटा के फिल्ड में पड़ी है। इस सूचना पर मैं वहाँ मौके पर पहुँचा उस समय रात्रि लगभग साढ़े आठ बज रहे थे। मेरे पिता के लाश के पास ईट के टुकड़े पड़े हुए थे उनके पास कोई दवा व पैसा नहीं मिला था, उक्त लोग मेरे पिता के साथ घटना कर लाश को छोड़ कर चले गये थे।

स्थानीय पुलिस के माध्यम से एम्बुलेन्स से मेरे पिता के शव को अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। डाक्टर ने पहले से मृत्यु होना बताया। मेरे पिता के शव के पंचनामा की कार्यवाही दिनांक 08.05.2023 को सुबह करीब 8–10 बजे थाना कोतवाली हाटा के पुलिस के अधिकारी महोदय ने हम लोगों के सामने लिख पढ़ कर तैयार किया गया था। मौके पर पंचनामा के दौरान मेरे साथ मेरे बड़े भाई जितेन्द्र कुमार, मेवा लाल भारती, सुभाष प्रसाद व त्रिभुवन गुप्ता को पंच नियुक्त कर शव के पंचनामा की कार्यवाही पूरी की थी। पंचनामा तैयार करने के बाद दरोगा जी उस पर मुझसे दस्तखत बनवाये थे। राय पंचाग के रूप में मैंने सर में पीछे चोट आना मौत का कारण बताया था। P.M. कराने की राय दी थी, उस दिन अपने पिता स्वामीनाथ का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन दिनांक 09.05.2023 मेरे बताने पर मेरे बड़े भाई कृष्ण कुमार ने प्रार्थना पत्र तैयार किया जिसको पढ़कर मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर बना कर थानाा कोतवाली हाटा में कार्यवाही हेतु दिया था जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। विवेचना के दौरान दरोगा जी मुझसे मिले थे मैंने उनको दोनों स्थान जहाँ मेरे पिता साईकिल से उतर कर चक्कर खाकर बैठे थे व जहाँ उनका शव मिला था दोनों जगह दिखाया था। मौके पर दरोगा जी नक्शा नजरी तैयार किये थे। साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० 5क/1 मूल तहरीर दिखाया गया देख पढ़ का उल्लेखित तथ्यों को तसदीक करते हुए उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–1** डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली 8क/1 ता 8क/2 पंचनामा मृतक स्वामीनाथ का दिखाया गया देख पढ़कर साक्षी ने बने उस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया।

घटना के संबंध में स्थानीय बहुत से लोगों ने मुझे बताया था राजू चौहान और खजान्ची ने अपनी आँखों देखी बात बतायी थी उक्त चार लोगों ने ही मेरे पिता को दवा कराने के बहाने मोटर साईकिल से ले गये थे।

दौरान विवेचना विवेचक महोदय मुझसे मिले थे, घटना के बारे में दरोगा जी से बताया था। पूछताछ कर मेरा बयान दरोगा जी ने घटना के संबंध में लिये थे।''

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष (अमरजीत) –</u>

P.W.–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि ''घटना दिनांक 07.05.2023 की है। कितना दिन आज से हुआ मैं नहीं बता सकता। मेरे घर से घटना स्थल की दूरी 2 किमी० है। मुझे याद नहीं है कि घटना की सूचना कितने दिन बाद मिली है। घटना की सूचना पुलिस ने हमको दिया था फिर कहा कि प्रधान

ने हमको सूचना दिया। जब सूचना मिली तो हम लोग जहाँ पिता जी मृत पड़े थे वहाँ पर गये थे, जब मैं मृतक के पास गया तो गांव के तमाम लोग वहाँ पर थे, लेकिन उनका नाम इस समय याद नहीं है। पिता के मृत्यु शरीर देखकर थोड़ा नर्बस थे थोड़े देर बाद एक दो घंटे बाद मैं रिलेक्स हो गया। पिता जी के लाश के साथ मैं हास्पिटल में गया था, पिता जी को मृत घोषित कर दिया गया। P.M. होने के बाद मैंने थाने पर दरखास्त दिया था जो लिखित सूचना दिया था। दरखास्त मेरे बड़े भईया लिखे थे। मैं पढ़ा लिखा हूँ। उस समय मैं बहुत टेन्शन में था इसलिए दरखास्त नहीं लिखा दूसरे से दरखास्त लिखवाये थे। पहले घटना स्थल पर मैं पहुँचा था उसके बाद मेरे भाई साहब आधे घंटे बाद पहुँचे थे। एम्बुलेंस आयी तो पिता जी को मैं ही लेकर हास्पिटल में गया था। मुझसे व मेरे भाई साहब से मुलाकात हास्पिटल में हुआ था। घटना कैसे घटित हुआ न तो मैं जानता हूँ न तो मेरे भाई जानते है। सूचना मिला तो मुझे जानकारी हुआ सूचना देने वाला बताया कि आप के पिता जी गांधी स्मारक इण्टर कालेज के प्रांगड़ में गिरे पड़े है। सूचनाकर्ता ने यह नहीं बताया था कि आप के पिता की मृत्यु कैसे हुई, यह नहीं बताया था। खजांची व राजू चौहान ने बताया कि आपके पिता जी दवा कराने जा रहे थे तो गैस होने पर वही बैठ गये। मेरे पिता जी मेन मार्केट हथिया कटरा में बेहोश होकर जहाँ पड़े थे उसके अगल–बगल के बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं पता करने नहीं गया कि पिता जी वहां बेहोश होकर गिरे पड़े थे या नहीं। सूचना घटना की सुबह में दिया गया। घटना की सूचना दिनांक 09.05.2023 को दिया गया था। साढ़े आठ से नौ बजे के बीच में सूचना दिया था। निश्चित समय नहीं बता सकता यह सूचना सब इंस्पेक्टर विशाल सिंह को यह सूचना दिया था। प्रार्थना पत्र में मैंने लिखा था कि पीछे चोट लगा था जिसके कारण मृत्यु हुई थी। मेरे पिता जी बेहोश होकर जहाँ गिरे थे वह हाटा मेने मार्केट के पिच रोड पर गिरे थे। किस बल गिरे थे मैं नहीं बता सकता। जहाँ लाश पड़ी वहाँ किसी के अगल बगल का घर नहीं स्कूल का फिल्ड है। घटना होते किसी ने देखा नहीं था। घटना स्थल के उत्तर नेशनल हाइवे रोड, दक्षिण इण्टर कालेज स्कूल व पूरब जूनियर हाई स्कूल व पश्चिम रास्ता व उसके बाद तालाब है। खजांची व राजू चौहान के बताने पर मैंने अमरजीत, राजू व दो अज्ञात का नाम दिया है। साईकिल जहाँ मेरे पिता गिरे थे वही कई दिनों तक पड़ा था। साईकिल कौन मेरे घर पहुँचाया मुझे नहीं मालूम है। मैं जानने की कोशिश नहीं किया कि कौन साईकिल मेरे घर पहुँचाया था। लाश का पंचनामा ब्लाक पर हुआ था। ब्लाक आधा किमी० दूर घटना स्थल है। जहाँ पचनामा हुआ था, जहाँ लाश मिली थी वहाँ पंचायतनामा नहीं हुआ था। पंचनामा मितेन्द्र कुमार, मेवालाल भारती, सुबाष प्रसाद व त्रिभुवन गुप्ता के सामने पंचनामा हुआ था। मैं पंचनामा में था। शरीर पर पैंट शर्ट था जो काले रंग का पैंट व हरा निला

रंग का शर्ट था और कपड़ा मेरे सामने दिखाई नहीं दिया था। पंचनामें में बताया गया कि मात्र एक ही चोट है, दूसरा चोट नहीं है। दिनांक 07.05.2023 को समय 9 बजे से 10 बजे के बीच पंचनामा हुआ था। कितने बजे पंचनामा की कार्यवाही समाप्त हुई थी, समय नहीं बता सकता। पंचनामें पर मेरा दस्खत हुआ था। सबसे पहले किसका हस्ताक्षर पंचनामा पर हुआ था नहीं बता सकता। यह भी नहीं बता सकता कि सबसे बाद में किसका हस्ताक्षर पंचनामा पर हुआ था। पंचनामा का गवाह मैं ही बुला कर लाया था। पंचनामा के गवाह मेरे मुहल्ले के है। पोस्टमार्टम के लाश 7 को लेकर गये थे, 8 को पोस्टमार्टम हो गया था। मैं नहीं बता सकता कि पोस्टमार्टम के समय लाश का शिनाख्त किसने किया था। थाने के कौन लोग लाश के साथ गये थे। मैं नहीं बता सकता। साईकिल कहा पड़ी थी, उसकी चौहद्दी मैं नहीं बता सकता। जहाँँ साईकिल से गैस होकर गिरे थे वही बैठ गये थे, वहाँ नहीं मरे थे। घटना के बाद दरोगा जी मुझसे कभी नहीं मिले थे। मैं नहीं बता सकता कि दरोगा जी और किसी गवाह से मिले थे कि नहीं। दरोगा जी घटना स्थल पर मुझे बुलाकर नहीं ले गये थे।

यह कहना सही है कि घटना करते किसी ने नहीं देखा है न तो मैंने देखा है।

यह कहना सही है कि मैंने खजांची और राजीव चौहान के कहने पर मैंने अभियुक्त अमरजीत, अब्बू उर्फ रामू कन्नौजिया व दो अज्ञात पर नाम अंकित कराया है।

यह कहना गलत है कि मैंने स्थानीय राजनीतिक वश खजांची व रामू कन्नौजिया का नाम अंकित कराया है।''

<u>P.W.–2 राजीव उर्फ राजू चौहान –</u>

P.W.–2 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 15.05.2025 में कहा है कि "घटना हुए आज से करीब 2 साल हो गया है। शाम का लगभग 6 बजे का समय था। कस्बे के रहने वाले स्वामीनाथ साईकिल से हाथी कटरा के पास कन्हैया लाल सुनार के दुकान के सामने साईकिल सहित गिर गये थे तब मैंने वहां देखा कि अब्बू उर्फ राजू तथा अमरजीत कन्नौजिया उन्हें अपने साथ मोटर साईकिल पर बैठा कर दवा कराने के लिए कह कर ले गये थे, दूसरे दिन सुबह मुझे पता चला कि स्वामीनाथ की लाश गाँधी स्मारक इण्टर कालेज हाटा के पास पड़ा हुआ था। वहाँ मैं भी सुन कर गया था। मृतक का लड़का संजीव वहाँ मिले थे कह रहे थे कि स्वामीनाथ घर से सात हजार रूपये ले कर निकले थे उसी लालच में अभियुक्तगण ने हत्या करके फेंक दिया था। जाँच के दौरान दरोगा जी मुझसे पूछताछ किये थे, मेरा बयान लिये थे।''

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष –</u>

P.W.–2 ने बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कहा है "मेरा मकान वार्ड नं० 7 महाराणा प्रताप हाटा में है। मुल्जिमान कहाँ के रहने वाले है मैं उनको जानता पहचानता नहीं हूँ। यह घटना कि तारीख की है, मैं नहीं जानता। घटना स्थल कहाँ का है मैं नहीं जानता। मृतक कहाँ गिरा था, कैसे गिरा था यह भी मुझे जानकारी नहीं है। इस गवाही में मेरा नाम कैसे डाल दिया मैं नहीं जानता। दरोगा जी कभी भी मुझसे पूछताछ नहीं किये थे न ही पूछताछ कर बयान लिये थे। स्वामीनाथ मृतक की मृत्यु कैसे हुई यह मुझे जानकारी नहीं है।

दरोगा जी मेरा कोई 161 दं०प्र०सं० का बयान नहीं लिये थे। यह घटना किस समय की है, यह मुझे जानकारी नहीं है। लाश कहाँ मिली थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मृतक के पास क्या था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

अबू उर्फ राजू व अमरजीत द्वारा स्वामीनाथ मृतक को ले जाते हुए नहीं देखा था न तो मुझे जानकारी है कि स्वामीनाथ की कैसे मृत्यु हुई। मेरे घर से स्वामीनाथ का घर 500 मीटर है। स्वामीनाथ के अगल बगल मेरा घर नहीं है। मैं मार्केट में घाठी–लिट्टी व मीट बनाकर बेचता हूँ। जिस दिन की घटना बतायी जा रही है, उस दिन मैं दुकान चला रहा था। मैंने कोई घटना न देखा हूँ न ही जानता हूँ।

यह कहना सही है कि मेरा नाम गलत तरीके से इसमें डाल दिया गया।''

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियोजन –</u>

P.W.–2 ने अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "मैं पढ़ा नहीं हूँ। मैं अपना नाम लिख पाता हूँ। आज से पहले मैं एक दिन दिनांक 15.05.2025 को भी न्यायालय में बयान देने आया था, उस दिन मेरा बयान हुआ था। उस दिन जो बयान में बाते मैंने कही है वह किसी के डराने धमकाने से नहीं दिया था। स्वलम्ब रूप से घटना के संबंध मे जो बाते जानता था वह बताया हूँ। मुझको उस दिन बयान होने के बाद कई बार बयान देने के लिए सम्मन गया था, जिससे मैं काफी परेशान हो गया था और उब गया था।

यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।''

<u>P.W.–3 खजांची –</u>

P.W.–3 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 11.07.2025 में कहा है कि "आज से करीब 2 साल 2 माह पहले मेरे ससुर स्वामीनाथ शाम के

लगभग 05:00 बजे दवा लेने साईकिल से हाटा बाजार निकले थे। उस समय उनके पास 7000/–रूपये थे। अभी वह कन्या पाठशाला से हाथी कटरा के बीच पहुँचे थे कि चक्कर आने पर सड़क के किनारे बैठ गये। तभी हाटा शहर के रहने वाले अब्बू और अमरजीत उनको दवा कराने के बहाने अपने मोटर साईकिल पर बैठा कर लेकर चले गये। कुछ देर बाद पता चला कि ससुर स्वामीनाथ का शव गांधी इण्टर कालेज के ग्राउण्ड में पड़ा हुआ है। अब्बू और अमरजीत ने स्वामीनाथ के पास मौजूद 7000/– रूपये कैश लेकर उनकी हत्या कर लाश गांधी इण्टर कालेज के ग्राउण्ड में फेंक दिया था। जानकारी होने पर इण्टर कालेज के ग्राउण्ड में पहुँचा था। स्वामीनाथ का शव ग्राउण्ड में पड़ा हुआ था। स्वामीनाथ के सर में गहरी चोट दिख रही थी। घटना के संबंध में मुकदमा स्वामीनाथ के लड़के संजीव ने लिखवाया है। अबू और अमरजीत द्वारा स्वामीनाथ को मोटर साईकिल से जाते हुए देखा था। घटना के संबंध में मुकदमा लिखे जाने के बाद दरोगा जी जाँच पड़ताल में मिले थे और घटना के संबंध में मेरा बयान मुझसे लिये थे।"

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u> –

P.W.–3 ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "मैं स्वामीनाथ को जानता हूँ, स्वामीनाथ मेरे ससुर थे, स्वामीनाथ के घर से मेरा घर लगभग 7 किमी० दूर है। स्वामीनाथ की मृत्यु हो गयी है। स्वामीनाथ की मृत्यु कब हुई थी समय याद नहीं है। जब स्वामीनाथ की मृत्यु हुई थी तो मैं उनको देखने उनके घर पर गया था। स्वामीनाथ की मृत्यु की जानकारी होने के बाद मैं सीधे उनके घर गया था। जिस दिन मृत्यु हुई थी, उसी दिन सूचना मिलने के दो घंटे बाद उनके घर गया था। वही उनकी लाश थी, मैं जब स्वामीनाथ के घर गया तो वहाँ मौजूद स्वामीनाथ के छोटे लड़के व साले संजीव से अपने ससुर स्वामीनाथ की मृत्यु के बारे में पूछताछ किया था। वह हमरे बताये थे कि अब्बू और एक आदमी और जिसका नाम याद नहीं है, उन लोगों ने मेरे पिता को मार दिये थे। यह बात मेरे साले संजू मुझे बताये थे, मुझसे यह भी बताये थे कि सिर पर मार दिये थे। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने लाश देखा था कि नहीं देखा था। जब अपने ससुराल स्वामीनाथ के मृत्यु होने पर गया था तो लाश दरवाजे पर थी कि घर में थी यह मुझे याद नही आ रहा है। मैं किस दिन अपने ससुर के मृत्यु पर अपने ससुराल गया था दिन व तारीख याद नहीं हैं। मुझे समय याद नहीं है कि कितने बजे गया था रात में गया था जिस दिन मेरे ससुर स्वामीनाथ की मृत्यु हुई थी उस दिन हाटा बाजार नहीं गया था। घटना से पहले में बाजार गया था किस तारीख को गया था तारीख याद नहीं है। यह घटना होते हुए मैंने नहीं देखा है। मैं स्वामीनाथ को किसी के द्वारा मारते हुए नहीं

देखा है। घटना के दिन स्वामीनाथ घर से अकेले साईकिल से गये थे। घटना हाटा इण्टर कालेज के फिल्ड में हुआ था मैं वहाँ कभी नहीं गया था।

दरोगा जी घटना के संबंध में मुझसे कोई पूछताछ नहीं किये थे। इस घटना के संबंध में ना तो मैं कभी दरोगा जी से मिला था ना ही दरोगा जी मुझसे मिले थे। दरोगा जी पूछकर मेरा नाम गवाही में डाल दिये थे।

यह कहना सही है कि घटना के बारे में जानकारी जब मैं अपने ससुराल गया था तो वहाँ मेरे छोटे साले ने बताया था।

घटना के बारे में मुझे जानकारी मेरे साले ने फोन पर मुझे दिया था उस समय मैं बारात में महुआडीह जो देवरिया जिला में पड़ता है, वहाँ गया था।

यह कहना सही है कि मैं घटना को अपने आँख से देखा नहीं था।

यह कहना सही है कि इस मुकदमें में मुझे कैसे गवाह बना दिया गया मुझे जानकारी नहीं हैं।

यह कहना सही है कि आज मेरा हाथ मेरे लकवा की बिमारी है, मैं हस्ताक्षर नहीं बना पाऊँगा।''

<u>P.W.–4 जितेन्द्र कुमार –</u>

P.W.–4 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 25.07.2025 में कहा है कि "दिनांक 07.05.2023 को शाम को करीब 5 बजे मेरे पिता स्वामीनाथ साईकिल से घर से हाटा बाजार गये थे, उनके पास करीब उस समय 7000/– रूपये था, जब मेरे पिता कन्या पाठशाला से आगे और हाथी कटरा के बीच पहुँचे थे, उन्हें चक्कर आने लगा तब वह वही जमीन पर बैठ गये तभी हाटा के ही अबू उर्फ राजू व अमरजीत मेरे पिता के पास आकर अगल–बगल के लोगों से यह बताते हुये कि वे दोनों लोग पिता जी से परिचित हैं मेरे पिता स्वामीनाथ को अपने मोटर साईकिल पर बैठा कर दवा कराने के बहाने लेकर चले गये। जब पिता जी शाम तक घर नहीं आये तो हम लोग उन्हें खोजने लगे हाटा बाजार में खोजने पर पता चला कि उक्त दोनों लोग मेरे पिता को मोटर साईकिल पर बैठा कर ले गये थे। काफी खोजबीन के बाद मेरे पिता जी नहीं मिले कुछ देर बाद हम लोग को जानकारी मिली मेरे पिता की लाश गांधी इण्टर कालेज हाटा के फिल्ड में पड़ी है, उस समय रात्रि के 08.30 बजे थे। मेरे पिता के लाश के पास ईट पत्थर पड़ा हुआ था। उनके पास कोई दवा नहीं थी और उनके पास कोई रूपया भी नहीं था। उक्त दोनों लोग अबू और अमरजीत ने मिलकर ही मेरे पिता जी के साथ घटना कारित किया है। हाटा थाने के पुलिस द्वारा मेरे पिता को अस्पताल पहुँचाया गया था, जहाँ डा० साहब ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के अगले दिन सुबह हाटा थाने के दरोगा जी ने

मेरे और मेरे साथ मौजूद संजीव, मेवालाल भारती, सुबाष प्रसाद, त्रिभुवन गुप्ता को पंच बनाकर मेरे पिता के शव का पंचनामा की कार्यवाई किये थे और तैयार पंचनामा प्रपत्र पर हम पंचगणों से भी हस्ताक्षर बनवाये थे।

साक्षी को सामिल पत्रावली 8क/1 ता 8क/2 पंचनामा प्रपत्र दिखाया गया देख पढ़कर स्वयं के सामने पंचनामा की लिखा पढ़ी होने और उस पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया।

विवेचक महोदय ने इस संबंध में मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।"

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष –</u>

P.W.–4 ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "मृतक स्वामीनाथ मेरे पिता थे। घटना के समय मैं घर पर था। मेरे पिता जी मोहन वर्मा के कटरा में दवा लेने गये थे। मेरे पिता जी जब दवा लेने गये थे तो मैं उनके साथ नहीं था। शाम को 4 बजे दवा लेने घर से निकले थे तो वह घर वापस नहीं आये। मेरे गांव के सभासद सुनील चौहान बताये कि आपके पिता की मृत्यु हो गयी है। सुनील चौहान मेरे घर आकर हम लोग को सूचना दिया था। घटना के 4–5 घंटा बाद सुनील चौहान मेरे घर आकर हम लोग को सूचना दिये थे। उस समय लगभग 08.00 और 08.30 बजे का समय था। सूचना सुनते ही तत्काल हम लोग इण्टर कालेज के फील्ड में गये। मैं अपने गाड़ी से घटना स्थल पर अकेले गया था। मुझसे पहले बहुत लोग पहुँच चुके थे। वहाँ पर कौन–कौन था मैं नहीं बता सकता हूँ, फिर कहे मेरे घर के लोग भी वहाँ पहुँचे थे। मैं सबसे बाद में पहुँचा था। मैं पहुँचा वहां लाश नहीं थी। फिर मैं वहाँ से हास्पिटल चला गया जहाँ पर उनकी लाश थी। मैंने वहाँ किसी से पूछा नहीं मेरे पिता की लाश कहां गई मैंने अनुमान लगा लिया कि लाश को हास्पिटल ले गया हूँ। लाश सरकारी हास्पिटल हाटा में थी। वहाँ से डाक्टर के कहने पर जिला अस्पताल रविनद्रनगर P.M. कराने के लिए लाये। लाश के साथ पण्डित जी के एम्बुलेंस से हाटा सरकारी अस्पताल से मैं और मेरे साथ निदा मोची हमी दो लोग लाश लेकर आये थे। यह याद नहीं है कि मैं जब लाश लेकर आया था तो पुलिस हम लोग के साथ आयी थी कि नहीं आयी थी। हाटा सरकारी अस्पताल में पुलिस वाले मौजूद थे। हाटा सरकारी अस्पताल में दरोगा जी या कोई पुलिस वाले मुझसे पूछताछ नहीं किये। मुझे याद नहीं है कि पुलिस वालो या दरोगा जी ने मुझसे किसी कागज पर दस्तख्त कराया था कि नहीं कराया था। मुझे याद नहीं है कि दरोगा जी ने कोई कागज पढ़कर सुनाया था। पंचनामा बना था मुझे यह याद है। पढ़कर दरोगा जी मुझे सुनाये थे लेकिन इस समय याद नहीं है, क्या–क्या सुनाये

थे। अस्पताल मैं गया था तो लाश देखा था। लाश स्ट्रेचर पर रखी थी। पहली बार मैंने वहीं लाश देखा था। लाश पर पैंट शर्ट पहने हुए थे। काला पैंट सफेद शर्ट था। चोट सर के पीछे लगा था उसको मैं भी देखा था। पंचनामा पर हस्ताक्षर मैंने बनाया था और लोगों को भी बनाते देखा था। मैंने मारते हुए किसी को नहीं देखा था।

यह कहना गलत है कि मैंने पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं बनाया था।

यह कहना भी गलत है कि मेरे पिता की मृत्यु हुई है, इसलिए झूठी गवाही दे रहा हूँ।

यह कहना सही है इण्टर कालेज के फिल्ड में अपेन पिता की लाश नहीं देखा था।"

P.W.–5 उपनिरीक्षक प्रविन्द कुमार राय –

P.W.–5 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 25.08.2025 में कहा है कि "दिनांक 07.05.2023 को मैं चौकी कस्बा प्रभारी के पद पर नियुक्त था। थाना कोतवाली हाटा से मृतक स्वामीनाथ पुत्र स्व० रामाश्रय निवासी–देवरिया देहात वार्ड नं० 7 थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर का पंचायतनामा भरने हेतु C.H.C. हाटा का मेमो व नकल रपट प्राप्त कराया गया, मैं हमराह आरक्षीगण का० नौशाद अहमद व H.C. रामबुन्ना के साथ पहुँचकर पंचायतनामा की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 08.05.2023 को सुबह 07.05 बजे प्रारम्भ कर 08.10 बजे समाप्त किया गया तथा मृतक के शव को सील सर्व मुहर कर शव को आरक्षी नौशाद अहमद को मय आवश्यक कागजात के P.M. कराने हेतु सुपुर्द कर रवाना किया गया। पंचायतनामा मेरे हस्तलेख में है तथा पंचायतनामा पर मेरे व अन्य संबंधित गवाहान संजीव कुमार पुत्र स्वामीनाथ, जितेन्द्र कुमार, मेवालाल भारती, सुभाष प्रसाद, त्रिभुवन गुप्ता, का० नौशाद अहमद P.R.D. रामबुन्ना के हस्ताक्षर है। विवेचक महोदय ने पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

साक्षी को शामिल पत्रावली का०सं० 8क/1 ता 8क/2 पंचायतनामा स्वामीनाथ का दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़ कर अपने स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श–क–2/P.W.–5** डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली का०सं० 11क/7 नमुना मोहर दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़कर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श–क–3/P.W.–5** डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली का०सं० 11क/8 प्रतिसार निरीक्षक को प्रेषित रिपोर्ट को दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़कर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की। साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 11क/9 रिपोर्ट C.M. P.M. हेतु दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़कर बताया कि यह रिपोर्ट मैंने

मृतक के P.M. हेतु भेजा था, जिस पर **प्रदर्श–क–4/P.W.–5** डाला गया। साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 11क/10 फोटो नाश दिखाया गया तो साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की तसदीक की जिस पर **प्रदर्श–क–5/P.W.–5** डाला गया। साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 11क/11 पुलिस फार्म सं० 13 दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़कर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–6/P.W.–5** डाला गया।'’

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u> –

P.W.–05 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "इस समय कसया थाने पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। घटना के समय कस्बा चौकी हाटा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। इस घटना की सूचना दिनांक 07.05.2023 को थाने के माध्यम से नकल रपट प्राप्त कराया गया, जो पंचनामा के कार्यवाई के लिए मिला था। जहाँ लाश मिली वहां मैं गया था दिनांक 07.05.2023 को ही रात्रि के समय गया था। लाश कापंचनामा प्रकाश की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण रात्रि में नहीं किया गया अगले दिन दिनांक 08.05.2023 की सुबह 07.05 पर प्रारम्भ कर 08.10 मिनट तक किया गया। लाश को मैंने देखा था। उसकी उम्र 65–67 वर्ष था। पहनावा क्या था मुझे याद नहीं है, उसका विवरण पंचायतनामा में उल्लेख है। पंचनामा किस–किस के सामने हुआ याद नहीं है जिनमें मृतक के दो लड़के व अन्य तीन व्यक्ति थे। मृतक के सर के पिछले हिस्से में चोट थी। रपट 7 तारीख को दर्ज हुई थी। फार्म–13 मैंने ही भरा था। फार्म–13 के कालम–3 में समय जब व लगभग पाया गया जिसकी मृत्यु हुई उसमें समय अंकित नहीं है। वह सहवन छुट गया है उसका विवरण पंचायतनामा के मूल फार्म में अंकित है।

यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा यह पंचायतनामा नहीं लिखा गया है।”

<u>P.W.–6 हे० कां० सत्येन्द्र नाथ गिरि –</u>

P.W.–6 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 20.09.2025 में कहा है कि "दिनांक 09.05.2023 को मैं हे० मुहर्रिर थाना हाटा के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा संजीव कुमार एक लिखित तहरीर जिस पर वादी का हस्ताक्षर था, थाना कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर प्रभारी निरीक्षक महोदय ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश किया जिस पर मैंने 20.44 बजे पर मु०अप०सं० 274/23 धारा 304, 404 भा०दं०सं० विरूद्ध अब्बू उर्फ राजू कन्नौजिया पुत्र रमाकान्त व अमरजीत पुत्र जवाहर कन्नौजिया निवासी हाटा पंजीकृत किया तथा एक

ही प्रासेस में मैंने कम्प्यूटर आपरेटर को बोलकर नकल रपट कायमी पंजीकृत किया। चिक की नकल वादी मुकदमा को दिया तथा नकल चिक नकल रपट व अन्य प्रपत्र विवेचक को प्रेषित किया।

साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 4क/1 ता 4क/3 दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़कर कहा उल्लिखित तथ्यों की तसदीक करते हुए बताया कि यह चिक मैंने कम्प्यूटर आपरेटर को बोल–बोल कर अक्षरशः लिखवाया था, जिस पर **प्रदर्श–क–7/P.W.–6** डाला गया। साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 6क/4 नकल रपट कायमी संख्या 57/09.05.23 समय 20.44 दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़कर उल्लिखित तथ्यों की तसदीक करते हुए बताया कि मैंने यह नकल रपट कम्प्यूटर आपरेटर को बोलकर लिखवाया था जिस पर प्र**दर्श–क–8/P.W.–6** डाला गया।

दरोगा जी पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे। साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 5क मूल तहरीर के पृष्ठ भाग को दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर कहा कि प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अप०सं० 274/23 धारा 304, 404 भा०दं०सं० पंजीकृत किया था तथा उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया।”

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u> –

साक्षी P.W.–06 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "इस समय मैं हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। इस मुकदमें का F.I.R. मेरे द्वारा अंकित किया गया है। घटना के समय थाना बतौर हेड मोहर्रिर तैनात था। घटना की सूचना जरिये प्रार्थना पत्र संजीव कुमार द्वारा दिया गया था। घटना के 4–5 दिन बाद सूचना मिला था, तहरीर लिखी थी। तहरीर मेरे सामने नहीं लिखा था। लिख के लाया था। तहरीर पर वादी का हस्ताक्षर मेरे सामने नहीं किया था पहले से हस्ताक्षर वाला तहरीर मुझे दिया था। प्रथम सूचना अंकित करने के साथ–साथ प्रथम सूचना के संबंध में थाने की जी०डी० में भी अंकित किया था। जी०डी० 20.44 बजे समय याद है, परन्तु दिनांक याद नहीं है। उसी दिन विवेचना के लिए अधिकारी ने विवेचक नियुक्त किये थे। विवेचक का नाम F.I.R. में अंकित किया था। विवेचक का नाम उपनिरीक्षक विशाल सिंह नियुक्त हुये।

यह कहना गलत है कि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र घटना से संबंधित नहीं दिया गया था।”

<u>P.W.–7 डा० दीन मोहम्मद –</u>

P.W.–7 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 05.11.2025 में कहा है कि "दिनांक 08.05.2023 को मैं संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर में मेडिकल आफिस के पद पर तैनात था कि उसी दिन C.M.O. महोदय के आदेशानुसार मेरी ड्यूटी मर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम हेतु लगी थी, कि 02.45 P.M. पर मृतक स्वामीनाथ पुत्र रामाश्रय साकिन–देवरिया देहात वार्ड नं० 7 थाना कोतवाली हाटा जिला कुशीनगर को का० नौशाद अहमद व P.R.D. रामदुलार थाना कोतवाली हाटा द्वारा लाया गया था। मैंने शव का शव विच्छेदन 02.50 P.M. से 03.25 P.M. तक किया था। मृतक की उम्र लगभग 67 वर्ष पुरूष की थी। मृतक की लम्बाई 169cm वजन 62 Kg. औसर कद काठी का था तथा उसके शरीर पर एक पैन्ट एक शर्ट, एक बनियान, एक अन्डरवियर व एक बेल्ट था। मृत्यु के उपरान्त अकड़न की स्थिति शरीर के उपरी भाग में अकड़न पूर्व होने वाली थी। नीचले हिस्से में पूर्व हो चुकी थी। मैंने दिन के उजाले में शव का परीक्षण किया था–

वाह्य सामान्य बनावट – दोनों आँखे बंद थी, मुँह बंद था।

<u>Antimartom Injury –</u>

Lacerated wound .5cm x .5cm x bone deep with 9.00 x 7.00cm conluting swelling occipitel region उसकी दूरी जो गर्दन की C–7 हड्डी से 4.00 cm. उपर था।

<u>आन्तरिक परीक्षण –</u>

Scalp – Lacerated conjusted – N.A.D.

मस्तिष्क झिल्लियाँ – Conjusted, मस्तिष्क का वजन 1340 gm.

हेमाटोमा – Present occipitel Resion में फेफड़े की स्थिति– दाहिने फेफड़े का वजन 430 ग्राम बांये फेफड़े का वजन 360 gm., हृदय का वजन 240 gm., दाहिना चैम्बर आधा भरा था, बांया चैम्बर खाली था। आमाशय में अधपचा पदार्थ था।

छोटी आंत – पेस्ट्री पदार्थ व गैस मौजूद थी, बड़ी आँत – Facal matter and gases present.

पित्ताशय का वजय 1500 gm. आधा भरा था।

प्लीहा का वजन 140 gm., दाहिने गुर्दा का वजन 110gm., बांये गुर्दे में वजन 100 gm.

मुत्राशय व मूत्र वाहिनी खाली था।

रीढ़ का छल्ला तथा मेरू दण्ड नहीं खोला गया था।

मृत्यु का सम्भावित समय– तकरीबन एक दिन,

मृत्यु का कारण – अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण (हिमोरेजिक शॉक)

मेरे द्वारा इनक्लोजर 10 अनुलग्नक प्रपत्रों को हस्ताक्षरित करके P.M. रिपोर्ट को सील करके तथा एक सील बण्डल वस्त्रों का करके दो लिफाफा सील सहित शव को का० नौशाद हमद P.N.O. 182621361 थाना कोतवाली हाटा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया।

साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 9क/1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट शव विच्छेदन आख्या संख्या 300/2023 मृतक स्वामीनाथ दिखाया गया तो साक्षीने देख पढ़कर उल्लिखित तथ्यों की तसदीक करते हुए अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श–क–9/P.W.–7** डाला गया।''

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u> –

P.W.–07 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "शव परीक्षण के समय मैं संयुक्त जिला चिकित्सालय में तैनात था। मेरी ड्यूटी दिनांक 08.05.2023 को 02.45 P.M. पर से 03.25 P.M. तक लगी थी। फिस साक्षी ने बताया कि 08.05.2023 को 11.00 A.M. से लगी थी। शव परीक्षण का काम मैंने 02.45 P.M. से 03.25 P.M. तक किया था। शव पर एक पैंट, एक शर्ट, एक बनियान, एक अन्डरवियर व एक बेल्ट बरामद हुआ था। शर्ट व पैंट किस रंग का था मुझे याद नहीं है। शव की पहचान जो स्लिप थाने से लिखकर आती है, उसी के द्वारा हम लोग पहचान करते है। शव विच्छेदन के लिए जो शव आया था वह किसका था, मुझे याद नहीं है। जो शव लाया गया था उसकी उम्र साक्षी ने 62 वर्ष बतायी, फिर कहा कि 67 वर्ष थी।

शव विच्छेन में फार्मासिस्ट सहयोगी के रूप में थे, जिनका नाम नवीन कुमार व एक वार्ड ब्याय रहते है। वार्ड ब्याय का नाम मुझे याद नहीं है।

शव विच्छेदन के पूर्व मैंने एन्टीमार्टम इंजरी का अवलोकन किया था। इंजरी सर के आक्सीपिटल रीजन में था। इसके अलावा दूसरा कोई एंटी मार्टम इंजरी नहीं पाया गया। शव विच्छेदन के पश्चात आमाशय में अधपचा भोजन था। खाने के चार घंटे तक लगभग आमाश में भोजन रहता है।

मैं यह नहीं बता सकता कि मृतक कितने बजे भोजन किया था व कितने समय पूर्व उसकी मृत्यु हुई थी।

मृत्यु का सयम मैं पाचन क्रिया के आधार पर नहीं बता सकता।

शरीर में जो अकड़न था उसके आधार पर मैं मृत्यु का समय निर्धारित किया है। मृतक के शरीर के निचले हिस्से में पूरा अकड़न था और उपर अकड़न की प्रक्रिया में था। इसके आधार पर मैं एक दिन पूर्व मृत्यु होने की सम्भावना व्यक्त की थी। मृतक के मृत्यु की सही समय मैं निर्धारित नहीं कर सकता। समय व तारीख मैं

नहीं बता सकता। कितने देर पूर्व का एण्टी मार्टम इंजरी है। मैं नही बता सकता।

यह एण्टी मार्टम इंजरी अगर व्यक्ति सर के बल पीछे की तरफ गिर जाय तो यह चोट आना सम्भव है। शव विच्छेदन के बाद देखा गया कि हृदय बांया चेम्बर खाली था। दाहिना मे आधा भरा था।

मृत्यु के कितने देर बाद रक्त स्राव से बांया चैम्बर हृदय का व दांया चैम्बर कितनी देर में खाली हो जायेगा। इसका कोई निश्चित पैमाना नही है। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मृतक के हृदय का बांया चैम्बर व दांया चैम्बर मृत्यु के कितने देर बाद खाली हुआ था।

मृत्यु का कारण रक्तस्राव के कारण मृतक शांक में चला गया जिससे उसकी मृत्यु हुई होगी। आन्तरिक परीक्षण में कोई चोट नहीं मिला था।

मैं नहीं बता सकता कि मृत्यु कैसे हुई है।

यह कहना गलत है कि मैंने शव विच्छेदन नहीं किया था, अपने सहयोगियों के बताने पर शव परीक्षण लिखा था।”

<u>P.W.–8 विशाल कुमार सिंह (वरिष्ठ उप निरीक्षक)</u> –

P.W.–8 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 14.11.2025 में कहा है कि "मैं दिनांक 09.05.2023 को वरिष्ठ उप निरीक्षक के पद पर थाना कोतवाली हाटा में कार्यरत था। मुकदमा उपरोक्त थाना स्थानीय पर दिनांक 07.05.2023 को पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मुझे उप निरीक्षक को सुपुर्द हुआ। मुझ उप निरीक्षक द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना ग्रहण कर पर्चा नं० 1 दिनांक 09.05.2023 को किता किया गया जिसमें नकल चिक नकल रपट बयान एफ. आई. आर. लेखक वादी मुकदमा की तलाश अंकित करते हुये पर्चा किता किया।

पुनः दिनांक 10.05.2023 को पर्चा नं० 2 किता गया जिसमें बयान वादी निरीक्षण घटना स्थल बयान गवाहान चश्मदीद, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अभियुक्तगण का बयान तथा अभियुक्तगण रिमांड लेने हेतु याचना करते हुये पर्चा किता किया गया।

पुनः दिनांक 12.05.2023 को पर्चा नं० 3 किता किया गया जिसमें अवलोकन पंचायतनामा रिपोर्ट, अवलोकन पी. एम. रिपोर्ट तथा पंचायतनामा के गवाहान का तलाश अंकित करते हुये पर्चा किता किया गया।

पुनः दिनांक 14.05.2023 को पर्चा नं० 4 किता किया गया जिसमें पंचायतनामा के गवाहों का बयान तथा दो अज्ञान व्यक्तियों की सुरागरसी पतारसी तथा पी. एम कर्ता डाक्टर का बयान अंकित करते हुये पर्चा किता किया।

पुनः दिनांक 21.05.2023 को पर्चा नं० 5 किता किया गया जिसमें पंचायतनामा भरने वाले उप निरीक्षक का बयान तथा पी. एम. कराने ले जाने वाले आरक्षी का बयान अंकित करते हुये पर्चा किता किया गया।

पुनः दिनांक 26.05.2023 को पर्चा नं० 6 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 310/2023 माननीय न्यायालय प्रेषित करते हुये पर्चा किता किया गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या 7 क/1 नक्शा नजरी घटना स्थल प्रथम गांधी स्मारक इण्टर कालेज ग्राउंड दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़कर नक्शा नजरी स्वयं के हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–10/P.W.–8** अंकित किया गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या 7 क/2 नक्शा नजरी घटना स्थल द्वितीय हाथी कटरा दिखाया गया तो साक्षी ने देख पढ़कर नक्शा नजरी स्वयं के हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क –11/P.W.–8** अंकित किया गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या 11 क/13 गिरफ्तारी मेमो दिखाया गया तो साक्षी ने देखपढ़कर स्वयं के हस्तलेख एवं हस्ताक्षर गिरफ्तारी मेमो होने की साक्षी ने पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–12/P.W.–8** अंकित किया गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या 3 क/1 ता 3 क/6 आरोप पत्र दिखाय गया दिखाया गया तो साक्षी ने देखपढ़कर आरोप पत्र स्वयं के हस्ताक्षर में आरोप पत्र होने की साक्षी ने पहचान की जिसपर संयुक्त रूप से **प्रदर्श–क–13/P.W.–8** अंकित किया गया।''

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u> –

P.W.–08 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मुझे विवेचना दिनांक 09.05.2023 को मिला कितने बजे मिला समय याद नहीं है। विवेचना मिलने के बाद घटना स्थल पर रवानगी हुई समय मुझे याद नहीं है। घटना स्थल पर मैं दिनांक 10.05.2023 को गया था। मेरे द्वारा लाश नहीं पाया गया था। लाश की बरामदगी चौकी इन्चार्ज परविन्दर राय द्वारा की गई थी। लाश की पहचान वादी मुकदमा एवं उनके लड़के द्वारा पहचान कराई गई। पी. एम भेजने के पूर्व जब लाश को सील किया गया तो किन किन गवाहों का बयान दर्ज किया गया यह वहीं बतायेंगे। घटना स्थल पर पहुंचने पर मैने बयान वादी मुकदमा संजीव कुमार और चश्मदीद गवाहन राजीव चौहान, खजान्ची का बयान लिया था। मृतक की लाश स्कूल में पया गई थी उसकी मृत्यु कहां हुई इसकी विवेचना मैने किया था उनकी

मृत्यु गांधी स्मारक इण्टर कालेज में होनी पायी गई इसकी जानकारी मुझे चश्मदीद गवाह राजीव और खजान्ची के बयान से मालूम हुआ। मृत्यु कितने बजे की है मैं समय नहीं बता सकता हूँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित यह कि मृतक साईकिल से गिर गया था इसका जानकारी मुझे है वादी मुकदमा और चश्मदीद गवाहान के द्वारा बताया गया था। मृतक जहां गिरा था उस स्थल का नक्शा नजरी में बनाया था जो पर्चा नं० 2 दिनांक 10.05.2023 को अंकित किया था। यह जो साईकिल से गिरने की बात गवाहान द्वारा बताया गया वह समय मुझे नहीं पता है। फिर कहे कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 07.05.2023 को शाम को छः बजे साईकिल से गिरना बताया था यह मैं पर्चा नं० 2 में अंकित किया है। उस दिन वादी मुकदमा और दो चश्मदीद गवाह राजीव चौहन और खजान्ची का बयान मैने लिया था। ये तीनो साक्षी मुझे थाने पर मिला थे। समय मुझे याद नहीं है मैं कितने बजे बयान लिया था तारीख दिनांक 10.05.2023 था। दिनांक 10.05.2023 को गवाहान को घटना स्थल पर ले गया था। जहां पर साईकिल से गिरना बताया था उसकी पहचान वादी मुकदमा द्वारा उसी दिन हुआ था। गिरने वाले स्थान का नक्शा नजरी कितने बजे तैयार हुआ यह में नहीं बता सकता। उसके बाद मैं गाधी स्मारक इण्टर कालेज गया जहां पर मृतक का मृत्यु हुआ था इसका भी समय मुझे याद नहीं है। साईकिल से जहां गिरना बताया जाता है वहां अगल बगल किसी दुकानदार या किसी अन्य व्यक्ति का बयान लिया था ना किसी ने मुझे कुछ बताया था। मृतक जहां साईकिल से गिरा था उसके अगल बगल चश्मदीगवाह राजीव और खजान्ची का कोई निवास या दुकान नहीं है। राजीव और खजान्ची कहां से घटना देखे उसका में नक्शा नजरी में कोई उल्लेख नहीं किया हूं इसका कारण में नहीं बता सकता हूं। मैने चश्मदीद गवाहनों से यह सवाल भी नहीं किया था कि मृतक को उसको उठाने गये थे कि नहीं गये उसका पहचान किये थे की नहीं किये थे यह मुझे याद नहीं है। मृतक का लाश जहां पड़ी थी वहीं पर कोई ऐसा सामान नहीं मिला था जिसके द्वारा मृतक पर प्रहार किया गया हो या लड़ाई झगड़ा में कोई सामान गिरा हो। जिस विद्यालय में मृतक की लाश मिली थी वहां विद्यालय में रात को कोई चपरासी की ड्यूटी नहीं लगी थी। जहां लाश मिली विद्यालय में चहारदिवारी नहीं है वह खाली है।

प्रश्न– जहां लाश पायी गयी वहां पर विद्यालय के किसी कर्माचारी, प्रिसिंपल या शिक्षक का बयान लिया था की नहीं लिया था।

उत्तर– जब मैं वादी मुकदमा के साथ घटना स्थल पर गया तब वहां पर न कोई प्रिसिंपल, शिक्षक या कर्मचारी कोई मौजूद नहीं था।

प्रश्न– मेरे द्वारा विद्यालय के किसी कर्मचारी से मिलने या बयान लेने का प्रयास नहीं किया गया

उत्तर– चूंकि घटना रात्रि के समय का है इसलिए रात्रि में विद्यालय के बाहर वाले ग्राउंड में विद्यालय का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता है इसलिये मैने किसी का बयान नहीं लिया।

मुझे जानकारी नहीं है कि विद्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे है या नहीं लगे है। दूसरे दिन मेरे द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों से मिलने का प्रयास किया गया पर विद्यालय का कोई भी कर्मचारी कोई भी बयान देने से इंकार कर दिया। मेरे द्वारा पर्चा नं० 4 में पतारसी सुरागरसी करने का पता किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद दो अभियुक्त बताये गये है दो अज्ञात अभियुक्त बताये गये है उनके बारे में पतारसी सुरागरसी मेरे द्वारा किया गया परन्तु इसके बारे में किसी का पता नहीं चला। अमरजीत और राजू की गिरफ्तारी मेरे द्वारा किया गया था गिरफ्तारी बागनाथ तिराहे से किया गया था। मुल्जिमानों के पास से गिरफ्तारी के दौरान मृतक के पास से लिये गये रूपये मेरे द्वारा बरामद किये गये थे। रूपया तीन हजार बीस रूपये था। बरामदगी मेमो मेरे द्वारा तैयार किया गया था उसमें मेरे साथ का० दीपक कुमार, का० सतीष चन्द व का० नौसाद मौजूद थे।

प्रश्न–बरामदगी के समय मुल्जिमानो के पास जो बारमदगी हुई उसकी बरामदगी मेमो तैयार हुआ कि नहीं।

उत्तर– बरामदगी मेमो तैयार किया गया था।

रिकवरी मेंमो का कोई जनसाक्षी नहीं है क्योंकि कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था।

जनसाक्षी कोई हमने नहीं दिया नाम पूछे तो कोई जनसाक्षी तैयार नहीं हुआ इसलिये मैंने किसी का नाम नहीं दिया है। अभियुक्त अबू उर्फ राजू कन्नौजिया के पास से पन्द्रह सौ बीस रूपया तथा अमरजीत के पास से पन्द्रह सौ रूपये प्राप्त हुआ। जमातलाशी के दौरान अभियुक्तगण के पास से मृत्यु कारित करने के संबंध से कोई असलहा या कोई अन्य अस्त्र बरामद नहीं हुआ था। मैने इसकी जानकारी नहीं कर पाया की मृतक की हत्या किस असलहे से हुई।

प्रश्न– पी.एम के लिये अधिकारी ने लाश को सील कराया था उससे आपने सवाल किया था कि नहीं मृतक के शरीर पर कहां चोटे आई थी वह देखा था या नहीं देखा था।

उत्तर– मेरे द्वारा ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था।

डाक्टर द्वारा मेरे द्वारा दिनांक 14.05.2023 को पर्चा नं० 4 पी. एम कर्ता डाक्टर का बयान अंकित किया है। यह याद नहीं है कि डाक्टर साहब ने एण्टी मार्टम इंजरी मृतक के शरीर पर कहां कहां पायी गई थी। पी.एम इंज इंजरी के बारे में पूछा था परन्तु याद नहीं इन्जरी कहां कहां था।

यह कहना गलत है कि मैंने कोई विवेचना नहीं किया और न तो किसी साक्षी से थाने के अलावा किसी से मिलकर बयान अंकित किया और जो नक्शा नजरी मैने बनाया है वादी मुकदमा के प्रभाव में आकर बिना मौके पर गये बनाया है।''

07– अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दिनांक 22.04.2026 को न्यायालय के द्वारा अभियुक्त अबू उर्फ राजू कन्नौजिया व अरमजीत कन्नौजिया का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसने अभियोजन साक्षीगण के बयान को गलत व झूठा बताया है और कथन किया है कि उनको प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है न ही वे घटना स्थल पर मौजूद थे तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

08– प्रस्तुत मामले में अवधारणा का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304, 404 भा०दं०सं० का आरोप साबित होता है?

09– न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय एवं बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण पाठक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

10– अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोप को सिद्ध करने के लिए कुल तथ्य के चार गवाह व चार औपचारिक गवाहों को परीक्षित कराया गया हैं। अभियोजन साक्षीगण के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोप अन्तर्गत धारा 304, 404 भा०दं०सं० को सिद्ध करने में सफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्गणों को दोषसिद्ध कर लगे आरोपों से दण्डित किया जाय।

11– उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षीगण P.W.–1 संजीव कुमार, P.W.–2 राजीव उर्फ राजू चौहान, P.W.–3 खजांची तथा P.W.–4 जितेन्द्र घटना स्थल कन्या पाठशाला से आगे हाथी कटरा के बीच में, मौजूद नहीं थे। अभियोजन

साक्षीगण के द्वारा मृतक को घटना स्थल पर साईकिल से गिरते हुए तथा अभियुक्तगण के द्वारा मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले जाते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि अभियोजन साक्षीगण घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत मामले में मृतक स्वामीनाथ अपनी साईकिल से बेहोश होकर सड़क पर गिर गये जिससे उनके सिर के पीछे चोट लगी और बाद में उसी से सम्भवतः उनकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्तगण के द्वारा मृतक के शरीर व सिर पर कोई चोट कारित नहीं की गयी। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले में आलाकत्ल की बरामदगी नहीं हुई है और न ही अभियोजन के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराने में हुए विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन घटना कारित करने के उद्देश्य को भी सिद्ध नहीं किया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगणों को मात्र संदेह के आधार पर प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया हैं तथा अभियोजन साक्षीगण के द्वारा अभियोजन कथानक का भी समर्थन नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोप अन्तर्गत धारा 304, 404 भा०दं०सं० को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण को लगे आरोपों से दोष मुक्त किया जाय।

12– न्यायालय पत्रावली पर मौजूद अभियोजन साक्ष्य के आलोक में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोप के संदर्भ हेतु निम्न विचारण बिन्दु विरचित करना आवश्यक समझता है।

Point of Determination

13– उपरोक्त धाराओं के संबंध में लगे आरोपों के बावत अभियोजन को मुख्य रूप से निम्न विचारणीय बिन्दुओ को सिद्ध करना आवश्यक है–

1. क्या अभियोजन साक्षीगण संजीव कुमार, राजीव उर्फ राजू चौहान, खजांची तथा जितेन्द्र कुमार घटना दिनांक 07.05.2023 को घटना स्थल कन्या पाठशाला से आगे हाथी कटरा के बीच में उपस्थित थे और क्या उनके द्वारा अभियुक्तगणों को मृतक स्वामीनाथ को इलाज के लिए मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले जाते हुए देखा गया ?
2. क्या मृतक स्वामीनाथ के सिर के पीछे आयी चोटें दुर्घटना का परिणाम है या अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गयी है ?

3. क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहा है ?

14– <u>निस्तारण विन्दु संख्या –1</u>

1. क्या अभियोजन साक्षीगण संजीव कुमार, राजीव उर्फ राजू चौहान, खजांची तथा जितेन्द्र कुमार घटना दिनांक 07.05.2023 को घटना स्थल कन्या पाठशाला से आगे हाथी कटरा के बीच में उपस्थित थे और क्या उनके द्वारा अभियुक्तगणों को मृतक स्वामीनाथ को इलाज के लिए मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले जाते हुए देखा गया ?

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन का सम्पूर्ण मामला Last Seen Evidence पर आधारित है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन इस तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक 07.05.2023 को मृतक स्वामीनाथ के साथ अभियुक्तगण को हाटा बाजार में देखा गया था।

अभियोजन के द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण मृतक स्वामीनाथ को घटना दिनांक व समय पर इलाज के लिए मोटर साईकिल पर बैठाकर ले गये तथा उसके पश्चात गांधी स्मारक इण्टर कालेज के प्राण्ड्ग में मृतक स्वामीनाथ की लाश बरामद हुई। अभियोजन Last Seen toghter अर्थात स्वामीनाथ का अभियुक्तगण के साथ अन्तिम बार जीवित साथ–साथ देखे जाने के तथ्य को सिद्ध करने में सफल रहा है।

पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के अवलोकन से यह निर्विवादित है कि अभियोजन का सम्पूर्ण मामला Last seen toghter theory पर आधारित है। अभियोजन को प्रस्तुत मामले में इस तथ्य को सिद्ध करना है कि अभियुक्तगण घटना दिनांक 07.05.2023 को मृतक स्वामीनाथ को घटना स्थल से मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गये।

अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी P.W.–1 संजीव कुमार जो कि मृतक स्वामीनाथ का लड़का है, ने अपने जिरह में साक्ष्य प्रस्तुत किया कि मुझे याद नहीं है कि घटना की सूचना कितने दिन बाद मिली। घटना की सूचना पुलिस ने हमको दिया था। घटना कैसे घटित हुआ न तो मैं जानता हूँ न मेरे भाई जानते है। सूचना मिला तो मुझे जानकारी हुई कि पिता जी गांधी स्मारक इण्टर कालेज के प्राण्ड्ग में गिरे पड़े है। सूचनाकर्ता ने यह नहीं बताय कि पिता की मृत्यु कैसे हुई। मैंने खजांची व राजू चौहान के बताने पर अभियुक्त अमरजीत, राजू व दो अन्य अज्ञात का नाम बताया था। घटना स्थल से मेरे पिता जी की साईकिल कौन

पहुँचाया पता नहीं। इस गवाह ने जिरह के सुझाव में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मैंने खजांची व राजू चौहान के कहने पर अभियुक्त अमरजीत, अब्बू उर्फ राजू कन्नौजिया व दो अन्य का नाम अंकित कराया है। अभियोजन साक्षी P.W.–2 राजीव उर्फ राजू चौहान के द्वारा भी अपनी जिरह में साक्ष्य प्रस्तुत किया कि मुल्जिमान कहां के रहने वाले है, मैं उनको जानता पहचानता नहीं हूँ। घटना स्थल कहां है मैं नहीं जानता। मृतक कहां गिरा था, कैसे गिरा था यह भी नहीं जानता। स्वामीनाथ की मृत्यु कैसे हुई मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस वाले ने मेरा बयान कैसे लिखा मुझे जानकारी नहीं है। आगे गवाह ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किया कि अब्बू उर्फ राजू व अमरजीत के द्वारा स्वामीनाथ मृतक को ले जाते हुए मैंने नहीं देखा था न ही मुझे जानकारी है कि स्वामीनाथ की मृत्यु कैसे हुई। अभियोजन साक्षी P.W.–3 खजांची के द्वारा भी जिरह में साक्ष्य प्रस्तुत किया जब स्वामीनाथ की मृत्यु हुई उसके बाद वह उनके घर गये थे। मृत्यु होने के बाद सीधे उनके घर गये थे। मैंने स्वामीनाथ को किसी के द्वारा मारते हुए नहीं देखा। घटना के बारे में जानकारी जब मै अपने ससुराल गया तो अपने छोटे साले से पता चली। अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी P.W.–4 जितेन्द्र कुमार के द्वारा जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि घटना के समय मैं घर पर था। गांव के सभासद सुनील चौहान ने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। सूचना पाकर सीधे गांधी इण्टर कालेज के मैदान में गये। यह कहना सही है कि इण्टर कालेज के फिल्ड में मैंने अपने पिता के लाश को नहीं देखा।

अभियोजन के द्वारा उपरोक्त चारों साक्षीगण के द्वारा घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति मृतक स्वामीनाथ के साथ के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन साक्षी संजीव कुमार व जितेन्द्र कुमार मृतक के लड़के है तथा अभियोजन साक्षी P.W.–3 खजांची मृतक का दामाद है। अभियोजन साक्षी P.W.–1 व P.W.–2 राजू चौहान ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे न ही उन्होंने मृतक को अभियुक्तगण के साथ जाते हुए देखा। साक्षी संजीव कुमार, जितेन्द्र कुमार व खजांची जो कि मृतक के लड़के व दामाद है, अगर वे घटना स्थल पर मौजूद होते और उनके सामने उनके पिता व ससुर को साईकिल पर चक्कर आकर नीचे गिर जाते तो निश्चित रूप से मृतक के लड़के व दामाद दौड़कर जाते और अपने पिता को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाते और अपने घर लाते। ऐसान किया जाना इस तथ्य को सिद्ध करता है कि अभियोजन साक्षीगण संजीव कुमार, जितेन्द्र कुमार, राजू चौहान व खजांची घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे न ही उनके द्वारा अभियुक्तगण को मृतक स्वामीनाथ को अपने साथ ले जाते हुए देखा गया। तद्नुसार विचारण बिन्दु संख्या 1 निस्तारित

किया जाता है।

15– **<u>निस्तारण विन्दु संख्या –2</u>**

2. क्या मृतक स्वामीनाथ के सिर के पीछे आयी चोटें दुर्घटना का परिणाम है या अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गयी है ?

अभियोजन साक्षी P.W.–7 डा० दीन मुहम्मद के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया गया जिसको गवाह के द्वारा बतौर प्रदर्श–क–9 के रूप में साबित किया है। मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्राव हो जाने के कारण (हैमरेजिक शाक) दर्शित है तथा Antimartom Injury मात्र एक चोट दर्शित है, जिरह में गवाह के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया कि Antimartom Injury सिर के बल पीछे गिरने से आना सम्भव है। मृतक चोट लगने के बाद रक्त स्राव के कारण शाक में चला गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये P.W.–1 लगायत P.W.–4 सभी के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि घटना दिनांक 07.05.2023 को घटना स्थल कन्या पाठशाला से आगे हाथी कटरा के बीच में समय 06.00 बजे के लगभग मृतक स्वामीनाथ अपनी साईकिल से जमीन पर नीचे गिर गये, जिससे उनको चोट लग गयी। विवेचक P.W.–8 विशाल सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अपने पर्चा नं० 2 में इस आशय का अंकन किया है कि दिनांक 07.05.2023 को समय 6 बजे मृतक स्वामीनाथ साईकिल से गिरना बताया गया। गिरने वाले स्थान का नक्शा नजरी तैयार किया गया। जहाँ साईकिल से गिरना बताया था उसकी पहचान वादी मुकदमा के द्वारा करायी गयी।

उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य सिद्ध होता है कि मृतक स्वामीनाथ जो कि वृद्ध व्यक्ति 67 वर्ष की आयु के थे, साईकिल से दिनांक 07.05.2023 को सड़क पर गिरे और गिरने से उनके सर में चोट आयी। मृतक के पोस्टमार्टम में भी सर के पीछे गिरने से आयी सिर्फ एक चोट का ही विवरण अंकित है। अगर कोई व्यक्ति मृतक को घटना स्थल से उठा कर ले जाता और फिर उसकी हत्या करता तो ऐसाकरने में निश्चित रूप से मृतक के शरीर पर वह अन्य चोटें भी कारित करता। अन्य चोटों का मृतक के शरीर पर न पाया जाना प्रथम दृष्टया इस तथ्य को सिद्ध करता है कि जिस सिर की चोट से मृतक स्वामीनाथ की मृत्यु हुई वह केवल सड़क पर साईकिल से गिरने के कारण हुई। न्यायालय की राय में मृतक के सिर पर मृत्यु पूर्व चोट साईकिल से सिर के बल पीछे गिरने के कारण दुर्घटना का परिणाम है। तद्नुसार विचारण बिन्दु संख्या 2 निस्तारित किया जाता है।

16– <u>निस्तारण विन्दु संख्या –3</u>

3. क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोपों को सिद्व करने में सफल रहा है ?

अभियोजन साक्षीगण के द्वारा इस तथ्य को सिद्व नहीं किया गया कि मृतक दिनांक 07.05.2023 को समय 6 बजे अभियुक्तगण के साथ मौजूद था। जब अभियोजन के द्वारा इस तथ्य को सिद्व नहीं किया गया तो उस दशा में **Burden of Proof** अभियुक्तगण के उपर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता कि वह इस तथ्य को सिद्व करें कि किन परिस्थितियों में मृतक स्वामीनाथ की मृत्यु हुई।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन के द्वारा किसी Motive को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अर्थात हत्या करने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। घटना स्थल जहाँ पर मृतक अपनी साईकिल से सड़क पर गिरा। वहाँ के आस–पास के निवासी व दुकानदारों को भी बतौर साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जो कि इस केस में सर्वोत्म साक्षी को सकते है। घटना दिनांक 07.05.2023 की है और उसी दिन शाम को वादी मुकदमा को मृत्यु के बारे में पता चल गया लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.05.2023 को दो दिनों के पश्चात दर्ज करायी गयी जिसके विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। ऐसाप्रतीत होता है कि दो दिनों के पश्चात संदेह के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी। जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाती है। घटना किस प्रकार और उसमें क्या आलाकत्ल इस्तेमाल किया गया इस संबंध में भी अभियोजन के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। तद्नुसार विचारण बिन्दु संख्या 3 निस्तारित किया जाता है।

17– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण अबू उर्फ राजू कन्नौजिया व अमरजीत पर आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 304, 404 भा०दं०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अबू उर्फ राजू कन्नौजिया व अमरजीत पर आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 304, 404 भा०दं०सं० से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **अबू उर्फ राजू कन्नौजिया** व **अमरजीत** को संबंधित एस०टी० नं०–893/2023, मुकदमा अपराध संख्या–274/2023, थाना–

कोतवाली हाटा, जिला–कुशीनगर के प्रकरण में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 304, 404 भारतीय दण्ड संहिता से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त अबू उर्फ राजू कन्नौजिया जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त अबू उर्फ राजू कन्नौजिया अगर किसी अन्य मुकदमें में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब रिहा किया जाय। कार्यालय लिपिक रिहाई आदेश भेजना सुनिश्चित करें।

अभियुक्त अमरजीत जमानत पर है, उसके जमानत बन्धपत्र खण्डित किये जाते है तथा उसके जमानतदारो को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दोषमुक्त अबू उर्फ राजू कन्नौजिया व अमरजीत को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437A दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निजी बन्ध पत्र मु०–50,000/– रूपये एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करेगें, जो आज की तिथि से अगले छः माह तक अपने दायित्वों के अधीन रहेंगे।

दिनांक: **04.07.2026** **(सत्यपाल सिंह प्रेमी)**

अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–I,

कुशीनगर स्थान पडरौना।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: **04.07.2026** **(सत्यपाल सिंह प्रेमी)**

अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–I,

कुशीनगर स्थान पडरौना।

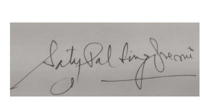

Digitally signed by SATYA PAL SINGH PREMI
Date: 2026.07.04 16:26:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court